



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
भीतरीन अधिकारी : श्री ललित भीणा HAS

रिसाल नं. ताशेख दायर ताशेख फैसला
51 / 2024 15 / 04 / 2024 19 / 08 / 2025

1. नारायण पुर बाल्या आयु 46 वर्ष जाति भीणा निवासी ग्राम पो0 लंगडियावास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0।
2. रामकेशर पुर बाल्या आयु 66 वर्ष जाति भीणा निवासी ग्राम पो0 लंगडियावास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0।
3. सन्तोष पतिन जगदीश आयु 33 वर्ष जाति भीणा निवासी ग्राम मधूदादासपुरा पो0 लंगडियावास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0।

वादीगण

बनाम

1. गिराज पुर काना
2. कल्सी पतिन काना
3. दिनेश पुर काना
4. लक्ष्मीनारायण पुर बाल्या,
5. सुजा देवी पतिन बाल्या
6. सेडूराम पुर काना
समस्त उभ्र व्यस्क जाति भीणा निवासी ग्राम पो0 लंगडियावास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री पूरण मल गुर्जर :- वकील वादीगण।

श्री किशनलाल :- प्रतिवादी सं0 1 ता 6

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निवेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 188 आर0टी0एक्ट

:- निर्णय :-

वादीगण की ओर से एड0 श्री पूरण मल गुर्जर ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 167 के आराजी खसरा नम्बर 63 रकबा 0.6700है0 वाकै ग्राम लंगडियावास, पटवारा हल्का लंगडियावास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही करया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस-नरस के अनुसार हक व हिस्से एवं कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादीगण का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावै। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 07.05.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने कुरुंजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुरुंजात रिपोर्ट पर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। प्राप्त कुरुंजात रिपोर्ट पर वकील उभय पक्षों ने सहमति दी।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ के द्वारा प्रस्तुत बटंवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ ने बटंवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान कारशकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम लंगडियावास, पटवारा हल्का लंगडियावास, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित निम्नलिखित आराजियात का तकासमा

किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
157	गिराज पुत्र काना हि० 1/8 राहिन विजया बैंक शाखा मोहनपुरा, दिनेश, सेडूराम पि० काना हि० 3/8, नारायण पुत्र बाल्या हि० 35/657, लक्ष्मीनारायण पुत्र बाल्या हि० 35/657, रामकंवार पुत्र बाल्या हि० 5/36, सूजा देवी पत्नि बाल्या हि० 1/12 जाति मीना सा०देह, सन्तोष पत्नि जगदीश हि० 25/146 जाति मीना सा० मधूरादासपुरा खातेदार।	63	0.67	बारानी 1	—
	योग	किता 63	0.67	—	—

—: प्रस्तावित :-

संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
	गिराज पुत्र काना हि० 1/4 राहिन विजया बैंक शाखा मोहनपुरा, दिनेश, सेडूराम पि० काना, कल्ली देवी पत्नी काना हि० 3/4 जाति मीना सा०देह खातेदार।	63/1	0.3350	बारानी 1	—
	योग	किता 1	0.3350	—	—
	नारायण पुत्र बाल्या हि० 356/2200, लक्ष्मीनारायण पुत्र बाल्या हि० 356/2200, रामकंवार पुत्र बाल्या हि० 930/2200, सूजा देवी पत्नी बाल्या हि० 558/2200 जाति मीना सा०देह खातेदार	63/2	0.2200	बारानी 1	—
	योग	किता 1	0.2200	—	—
	सन्तोष पत्नि जगदीश जाति मीना सा०देह खातेदार।	63/3	0.1150	बारानी 1	—
	योग	किता 1	0.1150	—	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
जमवारागढ

डिस्ट्री मुकदमा इबततई

(सलस 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

नारायण वर्गै०

बनाम

गिराज वर्गै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटकारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 51/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु श्री ललित मीना बहाजिरी श्री पुरणम मल गुर्जर अधिवक्ता वादीगण व श्री किशनलाल अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम लांगडियावास, पटवार हल्का लांगडियावास, लहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

-: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म	लगान
गिराज पुत्र काना हि० 1/8 राहिन विजया बैंक शाखा मोहनपुरा, दिनेश, सेडूराम पि० काना हि० 3/8, नारायण पुत्र बाल्या हि० 35/657, लक्ष्मीनारायण पुत्र बाल्या हि० 35/657, रामकंवार पुत्र बाल्या हि० 5/36, सूजा देवी पत्नि बाल्या हि० 1/12 जाति मीना सा०देह, सन्तोष पत्नि जगदीश हि० 25/146 जाति मीना सा० मधूरादासपुरा खातेदार।	63	0.67	बारानी 1	-
योग	किता 63	0.67	-	-

-: प्रस्तावित :-

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म	लगान
गिराज पुत्र काना हि० 1/4 राहिन विजया बैंक शाखा मोहनपुरा, दिनेश, सेडूराम पि० काना, कल्ली देवी पत्नी काना हि० 3/4 जाति मीना सा०देह खातेदार।	63/1	0.3350	बारानी 1	-
योग	किता 1	0.3350	-	-
नारायण पुत्र बाल्या हि० 356/2200, लक्ष्मीनारायण पुत्र बाल्या हि० 356/2200, रामकंवार पुत्र बाल्या हि० 930/2200, सूजा देवी पत्नी बाल्या हि० 558/2200 जाति मीना सा०देह खातेदार	63/2	0.2200	बारानी 1	-
योग	किता 1	0.2200	-	-
सन्तोष पत्नि जगदीश जाति मीना सा०देह खातेदार।	63/3	0.1150	बारानी 1	-
योग	किता 1	0.1150	-	-

परोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से आई आराजीयात में किसी प्रकार से कंबजे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 19.08.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिशन स्टाफ अर्धी बाबा		स्टेशन अर्धी बाबा	
मुवई	रुपये	कैसे	कैसे
स्टेशन परामर्शनामा		मुद्रासयसह	
स्टेशन वरिष्ठनामा		स्टेशन वरिष्ठनामा	
स्टेशन वायुद वायुद		स्टेशन वायुद वायुद	
महत्वाभावकील		महत्वाभावकील	
कार्या भाषाशास्त्र		कार्या परामर्शनामा	
वर्तमानवाचक हुकमनामा		वर्तमानवाचक हुकमनामा	
गुण		गुण	
मिशन		मिशन	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ